न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

अगराराम पुत्र गमना जी, जाति- कलबी, निवासी- मण्डार, तह. रेवदर, जिला- सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

1.सोमाराम पुत्र गमना जी, जाति- कलबी, निवासी- मण्डार, तह. रेवदर व जिला-सिरोही
2.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही

राजस्व अपील संख्या: 27/2020

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया, अपीलार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार पुरी, प्रत्यर्थी संख्या-1 की ओर से
3. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 31 मार्च, 2021**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील उप तहसीलदार, मण्डार द्वारा आपसी सहमति के बंटवाड प्रस्ताव को स्वीकार करने के पारित आदेश क्रमांक:भू.अ./2019/74 दिनांक 26.9.2019 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या- 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार पुरी उपस्थित हुये एवं प्रत्यर्थी संख्या- 2 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी एक सीधा साधा कृषक है, जो केवल साक्षर है तथा हस्ताक्षर करना जानता है। अपीलार्थी अनपढ़ है एवं पढना लिखना नही जानता है। प्रत्यर्थी सोमाराम अपीलार्थी का सगा भाई है जिसका लडका पढा लिखा है। अपीलार्थी, प्रत्यर्थी व उसके परिवाजन सभी एक ही परिवार के व्यक्ति है जिससे अपीलार्थी को सभी पर पूर्ण विश्वास रहा है। अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या-1 तथा खेताराम, रामजी पिसरान डाया कलबी के संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि ग्राम दानपुरा में आई हुई है जिसके खसरा संख्या 1097 से 1102 रकबा 26 बीघा 17 बिस्वा था। इस भूमि में अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सोमाराम के 1/2 हक हिस्सा खातेदारी का है तथा शेष हिस्सा डाया पुत्र मालाजी कलबी का था। इस भूमि का विभाजन प्रत्यर्थी संख्या-1 द्वारा किया गया, जिसमें अपीलार्थी के कई स्थान पर हस्ताक्षर व अंगूठा नीशानी करवाये गये। इ[illegible] 17 बिस्वा भूमि के विभाजन के समय अपीलार्थी को यह बताया गया [illegible] सडक

पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:12:58 IST
Reason: SelfAttested

की तरफ 175 फीट बाय 175 फीट कृषि अपीलार्थी अगराराम व सोमाराम के हिस्से में रखी गई है। खातेदारान के मध्य एक ईकरारनामा भी निष्पादित किया गया था उसकी फोटो प्रति अपीलार्थी को प्रदान की गई थी। उक्त विभाजन होने के बाद अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या-1 के हिस्से में कुल 13 बीघा 8 बिस्वा भूमि आई थी। इस भूमि का अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या-1 के मध्य विभाजन नही हुआ है। अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सोमाराम के संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि ग्राम दानपुरा, पटवार हल्का सोनेलां के खसरा संख्या 1097 रकबा 0.11 बीघा, 1098 रकबा 8.13 बीघा, 1099 रकबा 0.05 बीघा, 11000 रकबा 0.09 बीघा व 1101 रकबा 3.10 बीघा आई हुई है, जिसका अपीलार्थी अगराराम व प्रत्यर्थी सोमाराम के मध्य कभी भी विभाजन नही हुआ है। उक्त भूमि के अलावा अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या-1 के खातेदारी की अन्य भूमि खसरा संख्या 1067 रकबा 0.1600 हेक्टेयर व खसरा संख्या 1068 रकबा 13.1500 हेक्टेयर कुल किता 2 रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा कृषि भूमि आई हुई है। प्रत्यर्थी सोमाराम क़लबी व उसके पुत्र सुजाराम ने अपीलार्थी के साथ धोखाधडी कर अपीलार्थी के अनपढ होने का अनुचित लाभ उठाकर अपीलार्थी की जानकारी के बिना उक्त भूमि का बंटवाड के कागजों में हस्ताक्षर व अंगूठा करवा दिया है जबकि अपीलार्थी अगराराम व प्रत्यर्थी सोमाराम के मध्य कभी उक्त भूमि का बंटवाड नही हुआ है व प्रत्यर्थी सोमाराम ने उक्त बंटवाड प्रस्ताव को उप तहसीलदार कार्यालय, मण्डार में प्रस्तुत कर अपीलार्थी की जानकारी के बिना स्वीकृत करवाकर राजस्व अभिलेख में विभाजन करवा दिया। इस प्रकार, उप तहसीलदार, मण्डार ने अपीलार्थी की जानकारी के बिना उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि विरुद्ध है। उक्त खसरा संख्याप 1097, 1098, 1099, 1100 व 1101 कुल रकबा 13.08 बीघा भूमि का अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सोमाराम के मध्य विभाजन नही हुआ है एवं न ही मौके पर विभाजन होकर अलग-अलग काबिज हुए है। विभाजन प्रस्ताव में अपीलार्थी के साथ प्रत्यर्थी सोमाराम व उसके पुत्र ने धोखाधडी कर अपने स्वयं के हिस्से में 15 बीघा 19 बिस्वा भूमि रखी व अपीलार्थी के हिस्से में 12 बीघा भूमि ही रखी गई। प्रत्यर्थी अगराराम ने करीब 4 बीघा भूमि अधिक अपने हिस्से में रखकर अपीलार्थी की 2 बीघा भूमि को हडपने का प्रयास किया है, जबकि हम अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सोमाराम के मण्डार बडगांव रोड पर 175 फीट भूमि हिस्से में आई थी, उसमें से अपीलार्थी के हिस्से में रोड साईड में 87.5 वर्गफीट भूमि आती है, लेकिन उक्त विभाजन के जरिये प्रत्यर्थी सोमाराम के हिस्से में 115 फीट भूमि रखी गई है व अपीलार्थी के हिस्से रोड साईड में 60 फीट भूमि ही रखी गई है, जो भी मौके पर नही है। उपतहसीलदार, मण्डार ने विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपीलार्थी की सहमति प्राप्त नही की एवं उक्त विभाजन प्रस्ताव की सत्यता की जांच नही की गई। उप तहसीलदार, मण्डार ने विभाजन प्रस्ताव को स्वीकृत करने से पूर्व राजस्थान काश्तकारी नियमों के नियम 18 से 22 की पालना नही की गई है। प्रत्यर्थी सोमाराम के हिस्से में रोड साईड 27.5 फीट अधिक भूमि रखी गई है व अपीलार्थी के हिस्से में 27.5 फीट भूमि कम रखी गई है, मूल्यवान भूमि प्रत्यर्थी सोमाराम के हिस्से में रखी गई है, अलावा प्रत्यर्थी सोमाराम के हिस्से में 4 बीघा भूमि अधिक रखी गई है। उप तहसीलदार, मण्डार ने विभाजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:12:58 IST
Reason: SelfAttested

...पेज तीन पर

प्रस्ताव को स्वीकृत करने से पूर्व उक्त तथ्यों पर गौर नही किया है। उप तहसीलदार, मण्डार ने विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नही दिया है, जो प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। प्रत्यर्थी सोमाराम हमारी संयुक्त कृषि भूमि पर पैट्रोल पम्प का निर्माण कार्य करवाये जाने पर प्रत्यर्थी सोमाराम द्वारा काफी समय तक अपीलार्थी को मुगालतें में रखा व उक्त विधि विरुद्ध विभाजन प्रस्ताव की अपीलार्थी को जानकारी होने पर अपीलार्थी द्वारा संयुक्त भूमि पर निर्माण कार्य करने से रोके जाने पर प्रत्यर्थी सोमाराम व उसके पुत्र ने मौके पर विवाद की स्थिति उत्पन्न कर दी, तब अपीलार्थी को जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि प्रत्यर्थी अगराराम व उसके पुत्र ने छल पूर्वक उक्त कृषि भूमि का विभाजन प्रस्ताव स्वीकृत करवा लिया है। अपीलार्थी को विभाजन प्रस्ताव की जानकारी होने पर नकल हेतु आवेदन किया व नकल प्राप्त होते ही बिना किसी देरी के अपील इस न्यायालय में दिनांक 25.8.2020 को प्रस्तुत कर दी। अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने में कोई बदनियति या लापरवाही नही रही है। अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भावना पूर्ण है एवं इस विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध अपील के साथ साथ अलग से प्रस्तुत किया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त 2000(7)RBJ Page 329, 2016(23)RBJ Page 679, 2014(21) RBJ Page 44, 1999(6)RBJ Page 115, 2002(9)RBJ Page 381, 2005(1)Civil Times Page 205(SC) में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए हुए यह अनुरोध किया कि धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर उक्त विभाजन प्रस्ताव के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जावे एवं उप तहसीलदार, मण्डार द्वारा पारित स्वीकृत विभाजन प्रस्ताव आदेश क्रमांक/भू.अ./2019/74 दिनांक 26.9.2019 को निरस्त किया जावे। जबकि प्रत्यर्थी सोमाराम के विद्वान अधिवक्ता श्री पुरी ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रत्यर्थी सोमाराम व अपीलार्थी अगराराम की दोनों की सहमति व मौके पर संयुक्त कृषि भूमि का आपस में बंटवाड होने से अपीलार्थी अगराराम व प्रत्यर्थी सोमाराम ने आपसी सहमति से बंटवाड प्रस्ताव तैयार करवाया है, जिस पर अपीलार्थी अगराराम के हस्ताक्षर व अंगूष्ठ निशानी अंकित है। आपसी सहमति के आधार पर बंटवाड प्रस्ताव उपतहसीलदार, मण्डार को प्रस्तुत किया गया है, जिस पर बाद जांच उप तहसीलदार, मण्डार द्वारा दिनांक 26.9.2019 को स्वीकृत किया है। अपीलार्थी अगराराम के पीठ पीछे विभाजन प्रस्ताव स्वीकृत नही करवाया है, बल्कि अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सोमाराम की सहमति से विभाजन प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। विभाजन का लिखतनामा भी अपीलार्थी अगराराम व प्रत्यर्थी सोमाराम के मध्य निष्पादित किया गया है। प्रत्यर्थी सोमाराम ने अपीलार्थी से अधिक भूमि नही ली है, बल्कि संयुक्त कृषि भूमि के मूल्यांकन के अनुसार अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सोमाराम ने आपसी सहमति से मौके पर हुए बंटवाड अनुसार बंटवाड प्रस्ताव को तैयार करवाया है, जिस पर गवाह के रुप में अपीलार्थी अगराराम की ओर से सदाराम पुत्र नगाराम, जाति- कलबी, निवासी- मण्डार व प्रत्यर्थी सोमाराम की ओर से सुजाराम पुत्र सोमाजी कलबी, निवासी- मण्डार के हस्ताक्षर भी अंकित है। प्रत्यर्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:12:58 IST
Reason: SelfAttested

....पेज चार पर

सोमाराम द्वारा अपीलार्थी अगराराम को मुगालते में रखकर विभाजन प्रस्ताव स्वीकृत करवाने का तथ्य गलत है। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर व उप तहसीलदार, मण्डार को विभाजन प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने के आवेदन पत्र पर अपीलार्थी अगराराम व प्रत्यर्थी सोमाराम के हस्ताक्षर है। विभाजन प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु अपीलार्थी अगराराम व प्रत्यर्थी सोमाराम ने उप तहसीलदार, मण्डार के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत किये है, जिसे उप तहसीलदार, मण्डार ने नियमानुसार स्वीकृत किया है। इस आपसी सहमति से स्वीकृत बंटवाड प्रस्ताव आदेश की पालना में उक्त कृषि भूमि की नक्शें में तरमीम की गई है उस पर भी अपीलार्थी अगराराम ने हस्ताक्षर किये है। आपसी सहमति के आधार पर स्वीकृत हुए बंटवाड प्रस्ताव के विरुद्ध विधि अनुसार अपील नही की जा सकती है। विभाजन प्रस्ताव स्वीकृत कराने के बाद प्रत्यर्थी सोमाराम द्वारा अपने हिस्से में आई भूमि पर पैट्रोल पंप स्थापित करने हेतु भूमि का संपरिवर्तन करवाकर व पेट्रोल पंप स्थापित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर पैट्रोल पंप का निर्माण करवाया है एवं पैट्रोल पंप का निर्माण हो जाने से पर अपीलार्थी अगराराम की नियत में खोट आ जाने से अपीलार्थी अगराराम ने गलत तथ्यों के आधार पर यह अपील प्रस्तुत की है। यह कि उक्त संयुक्त कृषि भूमि का विभाजन अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सोमाराम की सहमति से हुआ है, जिसकी जानकारी अपीलार्थी अगराराम को प्रारम्भ से ही थी, लेकिन अपीलार्थी अगराराम ने विभाजन प्रस्ताव स्वीकृत होने की दिनांक 26.9.2019 के करीब 11 माह के विलम्ब से यह अपील प्रस्तुत की है। प्रत्यर्थी सोमाराम के अधिवक्ता ने बहस के दौरान विधिक दृष्टान्त RRT 2010(2) H.C. Page 801, RRT 2011(2) H.C. Page 851, RRT 2021(1) Page 336 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि का पर्याप्त कारण नही दर्शाया है, जबकि अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि के प्रत्येक दिन का स्पष्टीकरण अंकित करना चाहिये था। अपीलार्थी ने अपील पेश करने में हुए विलम्ब की अवधि को संतोषप्रद ढंग से स्पष्ट नही किया है। इस कारण से अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन नही किया जा सकता है। अत: अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र एवं अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे। प्रत्यर्थी सोमाराम के अधिवक्ता के कथनों के जवाब में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि इकरारनामा से विभाजन के नियम बने है, उन नियमों के अनुसार सह खातेदार को विभाजन प्रस्ताव स्वीकृत करने से पूर्व सुनवाई का अवसर दियां जाता तो अपीलार्थी को उक्त विभाजन प्रस्ताव की जानकारी हो जाती। उप तहसीलदार, मण्डार ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया है। किसी भी आदेश के विरुद्ध अपील की अवधि आदेश की जानकारी तिथि से लागू होती है, आदेश की तारीख से मियाद अवधि लागू नही होती है। बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने यह व्यक्त किया कि उप तहसीलदार, मण्डार के समक्ष आपसी सहमति का बंटवाड प्रस्ताव प्रस्तुत होने पर उप तहसीलदार, मण्डार द्वारा बंडवाड प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:12:58 IST
Reason: SelfAttested

पेज पांच पर

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ उप तहसील कार्यालय, मण्डार की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि उप तहसीलदार, मण्डार द्वारा आपसी सहमति के बंटवाड प्रस्ताव को स्वीकार करने के पारित आदेश क्रमांक: भू.अ./2019/74 दिनांक 26.9.2019 को निरस्त कराने हेतु अपीलार्थी की ओर से यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 25.8.2020 को प्रस्तुत की गई है, जो करीब 11 माह के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण अपीलार्थी ने विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु अपील के साथ साथ प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी अलग से प्रस्तुत किया है। अपीलार्थी द्वारा धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उप तहसीलदार, मण्डार द्वारा स्वीकृत बंटवाड प्रस्ताव के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भावनापूर्ण होना पाया जाता है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाकर इस अपील प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जा रहा है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी अगराराम व प्रत्यर्थी सोमाराम की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि के आपसी सहमति के बंटवाड हेतु प्रत्यर्थी सोमाराम द्वारा दिनांक 11.9.2019 को राशि रुपये 100/- (अक्षरे रुपये एक सौ मात्र) का स्टाम्प पेपर क्रय किया गया है एवं इस स्टाम्प पेपर पर अपीलार्थी अगराराम व प्रत्यर्थी सोमाराम की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि का आपसी बंटवाड दिनांक 12.9.2019 को टंकित करवाया गया है, जिस पर अपीलार्थी अगराराम व प्रत्यर्थी सोमाराम के हस्ताक्षर/अंगूष्ठ निशानी अंकित है एवं गवाह के रुप में श्री सदाराम पुत्र श्री नगाराम कलबी, निवासी- मण्डार व श्री सुजाराम पुत्र श्री सोमाजी कलबी, निवासी- मण्डार के हस्ताक्षर किये हुये। उक्त आपसी सहमति बंटवाड प्रस्ताव को उप तहसीलदार, मण्डार के समक्ष दिनांक 17.9.2019 को प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उप तहसीलदार, मण्डार द्वारा अपीलार्थी अगराराम व प्रत्यर्थी सोमाराम के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि के उक्त बंटवाड प्रस्ताव को आदेश क्रमांक/भू.अ./2019/74 दिनांक 26.9.2019 के द्वारा स्वीकृत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी अगराराम व प्रत्यर्थी सोमाराम के मध्य उनकी संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि के आपसी सहमति बंटवाड हेतु लिखतनामा शपथ पत्र के लिये राशि रुपये 50/- (अक्षरे रुपये पचास मात्र) का स्टाम्प पेपर दिनांक 18.9.2019 को प्रत्यर्थी सोमाराम द्वारा क्रय किया गया है एवं इस आपसी लिखतनामा शपथ पत्र पर अपीलार्थी अगराराम व प्रत्यर्थी सोमाराम के हस्ताक्षर/अंगूष्ठ निशानी अंकित है, लेकिन यह आपसी लिखतनामा शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक से तस्दीक शुदा नही है एवं न ही इस पर किसी व्यक्ति के गवाह के रुप में हस्ताक्षर किये हुये है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी अगराराम व प्रत्यर्थी सोमाराम के मध्य उनकी संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि का आपसी बंटवांड प्रस्ताव दिनांक 12.9.2019 को लिखा [illegible] इस बंटवाड प्रस्ताव को उप तहसीलदार, मण्डार के समक्ष दिनांक 17.9.[illegible] को [illegible] गया है,

पेज छः पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:12:58 IST
Reason: SelfAttested

जबकि अपीलार्थी अगराराम व प्रत्यर्थी सोमाराम के मध्य उनकी संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि के बंटवाड का आपसी लिखतनामा शपथ पत्र का स्टाम्प पेपर दिनांक 18.9.2019 को क्रय किया गया है, जो उक्त बंटवाड प्रस्ताव उप तहसीलदार, मण्डार के समक्ष प्रस्तुत होने के बाद लिखा गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी अगराराम व प्रत्यर्थी सोमाराम के मध्य उनकी संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि के बंटवाड का आपसी लिखतनामा शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक से तस्दीक किया हुआ नही है व न ही इस पर बतौर गवाह किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर किये हुये है।

यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी अगराराम व प्रत्यर्थी सोमाराम के मध्य निष्पादित आपसी सहमति बंटवाड प्रस्ताव में अपीलार्थी अगराराम के हिस्से में 12.00 बीघा भूमि व प्रत्यर्थी सोमाराम के हिस्से में 15.19 बीघा भूमि रखी गई है। इस प्रकार, प्रत्यर्थी सोमाराम ने स्वयं के हिस्से में अपीलार्थी से 3.19 बीघा अधिक भूमि रखी है। अधीनस्थ उप तहसील कार्यालय, मण्डार की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उप तहसीलदार, मण्डार ने उक्त बंटवाड प्रस्ताव को स्वीकृत करने से पूर्व अपीलार्थी अगराराम को सुनवाई का अवसर नही दिया है, जो प्राकृतिक न्याय के विपरित है।

अत: अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर उप तहसीलदार, मण्डार द्वारा अपीलार्थी अगराराम व प्रत्यर्थी सोमाराम के संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि के आपसी बंटवाड प्रस्ताव को स्वीकृत करने के पारित आदेश क्रमांक:भू.अ./2019/74 दिनांक 26.9.2019 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ उप तहसीलदार, मण्डार को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थी अगराराम एवं प्रत्यर्थी सोमाराम को सुनवाई का अवसर देते हुए पुन: विधि सम्मत आदेश पारित करे। निर्णय सुनाया गया।

(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:12:58 IST
Reason: SelfAttested